



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11062026-273368  
CG-RJ-E-11062026-273368

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2900]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2900]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 11 जून, 2026

का.आ. 2998(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिलों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में "उत्तर पश्चिम रेलवे के 'मेड़ता रोड़-बीकानेर खंड के बीच दोहरीकरण' परियोजना (172.72 किमी) विशेष रेल परियोजना" के संदर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप-खण्ड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उपखण्ड अधिकारी, नागौर	नागौर	नागौर
2	उपखण्ड अधिकारी, मुण्डवा	मुण्डवा	नागौर

3	उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता	मेड़ता	नागौर
4	उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर
5	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	नोखा	बीकानेर

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/स. व नि/443599200 भाग-25]  
विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

### MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

#### NOTIFICATION

Jaipur, the 11th June, 2026

**S.O. 2998(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section -2 of the Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of "**Doubling between Merta Road-Bikaner section (172.72 km) of North Western Railway**" in the state of Rajasthan relating to the sub-division mentioned in column (3), district mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

**TABLE**

Sr. No.	Competent Authority	Sub-Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Officer, Nagaur	Nagaur	Nagaur
2	Sub Divisional Officer, Mundwa	Mundwa	Nagaur
3	Sub Divisional Officer, Merta	Merta	Nagaur
4	Sub Divisional Officer, Bikaner	Bikaner	Bikaner
5	Sub Divisional Officer, Nokha	Nokha	Bikaner

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)